

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/768

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुड़ानाल व भूअनि. थापन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्मद्धी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा

आधार कार्ड

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्मद्धी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/सम्मद्धी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	माल	824.	येमा पुत्र अजीता मु. गिगी पत्नी - अजीता	येम सिंह उर्फ येमा पुत्र अजित सिंह उर्फ अजीता गिगी देवी पत्नी अजित. सिंह उर्फ अजीता

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/04

दिनांक:- 09.10.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/सम्मद्धी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण येम सिंह व गिगी देवी / अजित सिंह जाति पुरोहित गाम सिंह
तहसील सिवाना/सम्मद्धी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)